भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2211

सोमवार, 2 अगस्त, 2021 / 11 श्रावण, 1943 (शक)

राजस्थान से प्रवासी कामगार

2211. श्री नरेन्द्र कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अंतरराज्यीय प्रवासियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) राजस्थान राज्य से प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार का उनके कल्याण के लिए उपाय करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): मंत्रालय असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए आधार के साथ जुड़ा असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) पोर्टल विकसित कर रहा है जिसमें प्रवासी कामगारों को भी शामिल किया जाएगा। पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण अगस्त, 2021 से आरंभ होगा। यह पोर्टल, एक बार पूर्ण होते ही, राज्यों में प्रवासी कामगारों की संख्या का अनुमान देगा। मंत्रालय ने देश में प्रवासी श्रमिकों का अब तक का पहला सर्वेक्षण भी आरंभ किया है।

(ग) और (घ): सरकार ने अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए अंतर-राज्यिक कर्मकार (रोजगार और सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 का अधिनियमन किया था। इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा (ओएसएच) संहिता, 2020 में सम्मिलित कर लिया गया है। इस संहिता में प्रवासी कामगारों सहित कामगारों के सभी वर्गों के लिए उचित कार्य-दशाओं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत

जारी/2---

निवारण तंत्र तथा अन्य लाभों का प्रावधान है। अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की परिभाषा को व्यापक बनाना, इन कामगारों के लिए टोल फ्री हैल्पलाइन, यात्रा भत्ता, आदि जैसे विशेष प्रावधान भी ओएसएच संहिता, 2020 में समाविष्ट किए गए हैं।

अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सम्मिलित असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में प्रवासी कामगारों सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है। सरकार ने जीवन और नि:शक्तता छत्र के लिए 2015 में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की पेंशन के लिए 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना (पीएम-एसवाईएम) जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं आरंभ की हैं। वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना डेटा, 2011 के अनुसार पात्र लाभार्थियों के रूप में कवर किए गए प्रवासी कामगारों सहित सभी असंगठित कामगारों को द्वितीय और तृतीयक स्वास्थ्य लाभों का प्रावधान है। सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के माध्यम से खाद्य-सुरक्षा की राष्ट्र-व्यापी सुवाह्यता भी आरंभ की है जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के सभी लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी कामगार लाभार्थियों के लिए गृह राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में जारी किए गए उसी/मौजूदा एनएफएसए राशन कार्ड का उपयोग करते हुए देश में कहीं भी उनकी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से उनकी खाद्य-सुरक्षा पात्रताओं तक पहुंच बनाने के विकल्प का प्रावधान है।

******